

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सहारनपुर।

पत्रांक 645/क्ष0प्र0/जी-स0पुर/नीलामी/2020

दिनांक:- 23.01.2020

-:नीलामी सूचना:-

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर के विभिन्न बस स्टेशन पर रिक्त पड़े ठेकों की नीलामी माह की 05 तारीख को टैण्डर प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, सहारनपुर में निम्नवत करायी जानी प्रस्तावित है:-

- 1-टैण्डर प्राप्त किये जाने की तिथि 24.01.2020 से 04.02.2020
- 2-टैण्डर भर कर डाले जाने की तिथि 05.02.2020 को 14.00 बजे तक
- 3-टैण्डर खोले जाने की तिथि व समय 05.02.2020 को 15.00 बजे

नीलाम हेतु प्रस्तावित ठेकें

क. स.	बस स्टेशन	स्टाल/ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य	आरक्षित वर्ग का नाम	क. स.	बस स्टेशन	स्टाल/ ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य	आरक्षित वर्ग का नाम
1	खतौली	ओ0डी0ओ0पी0के अर्न्तगत हस्तशिल्प से सम्बन्धित उत्पाद दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ वस्तुयें ब्राण्डेड पैकड खादय/पेय सामग्री	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु	5	रेलवे रोड, सहारनपुर	ओ0डी0ओ0पी0के अर्न्तगत हस्तशिल्प से सम्बन्धित उत्पाद दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ वस्तुयें ब्राण्डेड पैकड खादय/पेय सामग्री	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु
2	मु0नगर	ओ0डी0ओ0पी0के अर्न्तगत हस्तशिल्प से सम्बन्धित उत्पाद दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ वस्तुयें ब्राण्डेड पैकड खादय/पेय सामग्री	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु	6	जलालबाद	ओ0डी0ओ0पी0के अर्न्तगत हस्तशिल्प से सम्बन्धित उत्पाद दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ वस्तुयें ब्राण्डेड पैकड खादय/पेय सामग्री	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु
3	पुरकाजी	ओ0डी0ओ0पी0के अर्न्तगत हस्तशिल्प से सम्बन्धित उत्पाद दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ वस्तुयें ब्राण्डेड पैकड खादय/पेय सामग्री	6000.00	दिव्यांगजनों हेतु	7	जलालाबाद	जलपान गृह	3500.00	जन सामान्य हेतु
4	खतौली	जनरल मर्चेट	3000.00	जन सामान्य हेतु	8	रेलवे रोड सहारनपुर	फल स्टाल	10000.00	जन सामान्य हेतु

निविदादाता को बन्द लिफाफे में निविदा दरों के तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी प्रतिभूति राशि के रूप में तथा रूपये 10000.00 अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट भी धरोहर राशि के रूप में अनिवार्यतः संलग्न करना होगा जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, सहारनपुर के पक्ष में देय होगा। धरोहर राशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी गयी निविदा के सापेक्ष निविदादाता के डिफाल्ट होने पर यह अनिवार्यतः जब्त कर ली जायेगी। टैण्डर फार्म रू0 20.00 के नकद भुगतान पर उपरोक्त विवरण के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, सहारनपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं। सभी ठेकों की अवधि 03 वर्ष होगी जिसमें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की किराया वृद्धि होगी। किसी भी टैण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा। जी0एस0टी0 एवं अन्य सभी कर ठेकेदार को नियमानुसार पृथक से देने होंगे। निविदादाता को टैण्डर फार्म के साथ आधार कार्ड एवं सक्षम पुलिस अधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। टैण्डरदाता को इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा

शेष पृष्ठ-----02 पर

(02)

कि वह भारत वर्ष में कहीं भी ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में नहीं डाला गया है। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित स्टाल/ठेकों के सम्बन्ध में यह अनिवार्य है कि लाभार्थी सम्बन्धित जनपद के निवासी हो एवं जनपद के जिलाधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक की समिति द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया हो। दिव्यांगजनों हेतु स्टाल/ठेकों का आवंटन अधिकतम बोलीदाता के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त स्टाल/ठेकों के लिए बस स्टेशन सहारनपुर पर 8×6, मु०नगर बस स्टेशन पर 6×12, पुरकाजी बस स्टेशन पर 10×10, खतोली बस स्टेशन पर 10×10 एवं जलालाबाद बस स्टेशन पर 6×8 का स्थान उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर ठेकेदार द्वारा स्वम खोखा/अस्थाई निर्माण कराकर स्टाल संचालित की जायेगी।

किसी भी टैण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा। शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहारनपुर में आकर देखी जा सकती हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
सहारनपुर

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य एवं विपणन) महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. सिटी मजिस्ट्रेट महोदय सहारनपुर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. प्रधान प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक(एम०आई०एस०) महोदय, को निगम की टैण्डर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम।
6. -सेवा प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम सहारनपुर/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) सहारनपुर।
7. समस्त स०क्ष० प्र०/स्टेशन अधीक्षक/कार्यशाला प्रभारी/नोटिस बोर्ड ईकाई सहारनपुर क्षेत्र।
8. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर/बस स्टेशन पुरकाजी/बस स्टेशन जलालाबाद द्वारा-सम्बन्धित स०क्ष० प्र०।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
सहारनपुर